इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2013—वैशाख 6, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2013

एफ 22-10-13-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे कि राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 138 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के पश्चात् उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियम में, नियम 214 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 127 की उपधारा (3) तथा धारा 201 की उपधारा (2) के अधीन भिन्न-भिन्न यानों के संबंध में देय अनुकर्षण व्यय, नीचे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उदगृहित किए जाएंगे, अर्थात् :—

अनुक्रमांक (1)	यान (वाहन) का प्रकार (2)	प्रति यान रकम (3)
1.	स्कूटर, मोटर साईकिल	रुपए 100/-
2.	कार, जीप तथा ऑटो रिक्शा	रुपए 300/-
3.	मध्यम मोटर यान	रुपए 600/-
4.	भारी मोटर यान (खाली)	रुपए 800/-
5.	भारी मोटर यान (भरे हुए)	रुपए 1000/-

NOTICE

F-22-10-13-VIII.—The following draft of amendment of the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration after 30 days of the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 214, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) Towing costs payable under sub-section (3) of Section 127 and sub-section (2) of Section 201 of the Motor Vehicles Act, 1988 in respect of different vehicle shall be levied as specified below, namely :—

S. No. (1)	Types of Vehicle (2)	Amount per vehicle (3)
1.	Scooter, Motor Cycle	Rs. 100/-
2.	Car, Jeep, Auto Rickshaw	Rs. 300/-
3.	Medium Motor Vehicle	Rs. 600/-
4.	Heavy Motor Vehicle (Unloaded)	Rs. 800/-
5.	Heavy Motor Vehicle (Loaded)	Rs. 1000/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.